FORM N0. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर, मुकाम दीगोद जिला कोटा

बद्री बाई उर्फ मुर्ति बाई बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 88 89 RT Act मुकदमा नम्बर सन् 94 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.07.2025	वाद पत्र, वादी बद्री बाई उर्फ मुर्ति बाई की ओर से अधिवक्ता श्री छीतरलाल गोचर 5द्वारा प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण की जर्ये रजिस्टर्ड एडी के तलवी सम्मन से की जावे। मिसल वास्ते तलवी इन्तजार में दिनांक 12.08.2025 को पेश हो।	
12 08/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने की वजह से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। अत पत्रावली दिनांक 29-9-25 को पेश हो।	
29 9/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावलियां अधिक होने की वजह से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। अत पत्रावली दिनांक 08-10-25 को पेश हो।	
08 10/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित। [illegible] के राजकार्य में व्यस्त [illegible] सुनवाई नहीं हो सकी। [illegible] दिनांक 10-10-25 को पेश हो	
10 10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित है। मिसल वास्ते तहसीलदार दीगोद से जवाब नक्शा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। वादी अधि० ने प्राप्त नक्शा पर बहस सुने जाने का निवेदन किया। वादी अधि० के निवेदन पर बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात, प्राप्त जवाब	

सरकार एवम कब्जम का गहन अध्ययन अवलोकन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद का आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली में अब कार्यवाही शेष नहीं होने से फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/2025 को मेरे इजलास सुनाया गया।

न्याया
मि0नं0
94 /

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0
94 / 2025

तारीख दायरा
03.07.2025

तारीख फैसला
10.10.2025

पीठासीन अधिकारी– श्री दीपक महावर

उनवान

1– बद्रीबाई उर्फ मूर्ति बाई पुत्री परसराम पत्नी रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

2– जोध्या बाई उर्फ अयोध्या बाई पुत्री परसराम पत्नी कमलाशंकर जाति गुर्जर निवासी मदनपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

3– बिरधीलाल उर्फ बिरधा आत्मज हीरालाल जाति गुर्जर निवासी तियाया जिला बांरा राज0

4– श्योजी आत्मज किशना उर्फ रामकिशन जाति गुर्जर निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।

5– जगदीश आत्मज किशना उर्फ रामकिशन जाति गुर्जर निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।

6– गायत्री पुत्री किशना उर्फ रामकिशन जाति गुर्जर निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।

7– घींसी बाई पत्नी किशना उर्फ रामकिशन जाति गुर्जर निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।

8– ललिता बाई पुत्री किशना उर्फ रामकिशन पत्नी राजाराम जाति गुर्जर निवासी रजोपा तहसील पीपलदा जिला कोटा राज0।

9– सावित्री बाई पुत्री किशना उर्फ रामकिशन पत्नी लालचन्द जाति गुर्जर निवासी सीसवाली तहसील मांगरोल जिला बांरा राज0।

(वादीगण)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा (राज0)

(प्रतिवादी)

वादीगण की ओर से –श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

यह कि ग्राम दीवानिया तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के खातें में खाता स0 64 नया 31 पुराना की खसरा न0 239 रकबा 1.35 है0 खसरा न0 260 रकबा 1.87 है0 खसरा संख्या 57 रकबा 0.41 है0, ख0न0 58 रकबा 0.71 है0 ख0न0 77 रकबा 0.06 है0 कुल 5 किता की 4.40 है0 भूमि स्थित है जिसमे वादी कम 1 का नाम मूर्ति बाई वादी कम 2 का नाम अयोध्या बाई वादी कम 3 का नाम बिरधा ओर वादी कम 4 लगायत 9 के पिता व पति का

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज0)

किशना दर्ज है। यह कि दीवानिया की खाता न0 30 नया 30 पुराना की ख0न0 226 कबा 1.61 है0, खसरा न0 284/307 रकबा 0.47 है। कुल 2 किता की 2.08 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिसमे वादी कम 1 का नाम मूर्ति बाई वादी कम 2 का नाम अयोध्या बाई दर्ज है। यह की उक्त दोनो खातो की आराजीयात मे वादी कम 1 का नाम मूर्ति बाई वादी कम 2 का नाम अयोध्या बाई, वादी कम 3 का नाम बिरधा ओर वादी कम 4 लगायत 9 के पिता व पति का नाम किशना दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का समस्त दस्तावेजों में बादी कम 1 का नाम बद्री बाई वादी कम 2 का नाम जोध्या बाई वादी कम 3 का नाम बिस्पीलाल और वादी कम 4 लगायत 9 के पिता का नाम रामकिशन है। जिससे वादी को सरकारी योजनाओं में किसान क्रेडिट कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे– कि ग्राम दीवानिया तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के खातें में खाता सं0 64 नया 31 पुराना की खसरा न0 239 रकबा 1.35 है0 खसरा न० 260 रकबा 1.87 है0 खसरा संख्या 57 रकबा 0.41 है0, ख0न0 58 रकबा 0.71 है० ख0न0 77 रकबा 0.06 है0 कुल 5 किता की 4.40 है0 भूमि स्थित हे जिसमे वादी कम 1 का नाम मूर्ति बाई वादी कम 2 का नाम अयोध्या बाई वादी कम 3 का नाम बिरधा ओर वादी कम 4 लगायत 9 के पिता व पति का नाम किशना दर्ज है। वादीगण का नाम वादी कम 1 का नाम मूर्ति बाई वादी कम 2 का नाम अयोध्या बाई, वादी कम 3 का नाम बिरधा ओर वादी कम 4 लगायत 9 के पिता व पति का नाम किशना के स्थान पर वादी कम का नाम बदी बाई वादी कम 2 का नाम जोध्या बाई वादी कम 3 का नाम बिरधीलाल ओर वादी कम 4 लगायत 9 के पिता व पति का नाम रामकिशन दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आज्ञा व डिक्री पारित की जाये। कि ग्राम दीवानिया की खाता नं0 30 नया 30 पुराना की खसरा नं0 226 रकबा 1.61 है0 खसरा नं0 284/307 रकबा 0.47 है0 कुल 2 किता की 2.08 है0 भूमि स्थित चली आ रही है जिसमे वादी कम 1 का नाम मूर्ति बाई वादी कम 2 का नाम अयोध्या बाई दर्ज है। वादीगण का नाम वादी कम 1 का नाम मूर्ति बाई वादी कम 2 का नाम अयोध्या बाई के स्थान पर वादी कम 1 का नाम बद्री बाई वादी कम 2 का नाम जोध्या बाई दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1– नकल जमाबन्दी ग्राम दीवानियां सवंत् 2076–2079
2– नकल आधार कार्ड
3– नकल पहचान पत्र
4– नकल राशन कार्ड
5– नकल बैंक डायरी

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी की ओर से जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार दीगोद से प्राप्त जवाब सरकार द्वारा वादी कम 4 ता 9 के पिता व पति का नाम किशना के

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

पर रामकिशन उर्फ किशना एवं वादी कम 3 का नाम बिरधा के स्थान पर बिरधीलाल बिरधा किये जाने की अनुशंषा की है। प्रकरण में जवाब सहमति पूरक होने से तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। प्ररकण को बहस पर नियत किया गया। वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड वादी के अधिवक्ता की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम दीवानिया तहसील दीगोद जिला कोटा में वादीगण के खातें में खाता सं0 64 नया 31 पुराना की खसरा न0 239 रकबा 1.35 है0 खसरा न० 260 रकबा 1.87 है0 खसरा संख्या 57 रकबा 0.41 है0, ख0न0 58 रकबा 0.71 है० ख0न0 77 रकबा 0.06 है0 कुल 5 किता की 4.40 है0 भूमि में वादीगण के पिता व पति का नाम रामकिशन के स्थान किशना दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण कम 4 ता 9 के पिता व पति का नाम किशना के स्थान पर रामकिशन उर्फ किशना एवं वादी कम 3 का नाम बिरधा के स्थान पर बिरधीलाल उर्फ बिरधा दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर वादीगण कम 4 ता 9 के पिता व पति के नाम विवादित आराजी में किशना के स्थान पर रामकिशन उर्फ किशना एवं वादी कम 3 का नाम बिरधा के स्थान पर बिरधीलाल उर्फ बिरधा दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की घोषण की जाती है। मुताबिक निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)